न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई–I, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 40/2021

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. कृष्णा कुमार नायर पुत्र गोपाला कृष्णन निवासी गुरूदत्त कॉलोनी नावेचा रोड़, पिपले गुरूव, पुणे पिनकोड–411061 (M/s Sodexo food solutions India Pvt Ltd OB केन्टीन MPT नागाणा जिला बाड़मेर का मैनेजर) 2. मथीराज के पुत्र कंदास्वामी जाति हिन्दु निवासी थीरवसवलूनगर, नरसिंगनलूर, तमिलनाडू (M/s Sodexo food solutions India Pvt Ltd का नोमिनि परसन)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.06.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स M/s Sodexo food solution[illegible] Pvt Ltd Ashwarya Village Nagana जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 27.[illegible].202[illegible] को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** जो कि एक कोल्ड में [illegible] करीब 30 कि0ग्रा0 एल्युमिनियम के भगोने में रखा हुआ पाया, को [illegible] होने के शक पर नि[illegible]ार **800 ग्राम दही (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1196** अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:50:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दही (खुला)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण फर्म एक विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित फर्म है, जिसका कई देशों मे व्यवसाय है, इस केंटिन एमपीटी नागाणा से पूर्व में लिये गये सभी सैम्पल शुद्ध एवं उच्च श्रेणी के पाये गये हैं। अप्रार्थी की केंटिन से जो नमूना लिया गया हैं उसकी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की जांच में माईनर त्रुटि बताई गई है, अन्य सभी मानकों पर जैसे शुगर, स्टार्च, युरिया, न्युट्रिलाईजर व ऐडेड कलरिंग मैटर पर खरा एवं उच्च श्रेणी का पाया गया हैं। खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जो माईनर त्रुटि पाई गई है उसके आधार पर अवमानक होना कोई आपराधिक मामला नहीं बनता हैं तथा अज्ञानतावश कोई जुर्म बनता हैं तो लोक अदालत की भावना से कम जुर्माना अधिरोपित किया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 31.10.2[illegible] में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत [illegible] पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया किंतु अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ दही की प्रयोगशाला जांच में माईनर त्रुटि बताई गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:50:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार इसका मानक स्तर 4.50% के मुकाबले में 02.7% पाया गया है जो कि अत्यन्त ही निम्न स्तर का हैं। इसके अलावा अप्रार्थीगण ने जवाब में इसे अपने ग्राहकों की मांग अनुसार होना प्रकट किया है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया हैं क्योंकि किसी अन्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ क्रय करने के बाद अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी निर्धारित मानक एवं गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 29.06.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई–I)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:50:36 IST
Reason: SelfAttested